निराकरण पुलिस कर्मी के पक्ष में पेश की गई खात्मा रिपोर्ट, एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर याचिका का निराकरण

पूर्व महापौर सहित पांच के खिलाफ चार्जशीट पेश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष एसटीएफ द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट को रिकार्ड पर लिया गया। उसका अवलोकन करने पर पाया गया कि हेलमेट चैकिंग के दौरान पुलिस कर्मी से अभद्रता और वर्दी फाड़ने के आरोपी पूर्व महापौर सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर चार्जशीट पेश कर दी गई है। जबकि पुलिस कर्मी के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर में खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी गई है। न्यायालय ने उक्त जानकारी पर गौर करने के साथ ही याचिका का निराकरण कर दिया।

उल्लेखनीय है कि जबलपुर निवासी अधिवक्ता मोहित वर्मा ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि पूर्व महापौर प्रभात साहू को लार्डगंज थानान्तर्गत बल्देवबाग के समीप वाहन चेकिंग दौरान पुलिस कर्मी ने बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हुए रोका था। पूर्व महापौर

अपना परिचय देते हुए पुलिस कर्मी के साथ अभद्रता करते लगे। इसके बाद समर्थकों के हुजूम एकत्र हो गया और पुलिस कर्मी की वर्दी फाड़ दी थी। पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ था। इसके बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। जबकि दूसरी ओर पुलिस कर्मी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। बावजूद इसके कि वायरल वीडियो में आरोपितों की शिनाख्त स्पष्ट थी।

यह था मामला

यह विवाद 18 सितंबर, 2025 को हेलमेट चैकिंग के दौरान शुरू हुआ था, जब पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता और मारपीट की घटना सामने आई थी। प्रारंभिक स्तर पर पुलिसकर्मी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को अज्ञात रखा गया था, लेकिन अधिवक्ता मोहित वर्मा की जनहित याचिका के बाद मामले की एसटीएफ जांच में सच्चाई सामने आई। अब यह स्पष्ट हो गया है कि शुरुआती कार्रवाई पर राजनीतिक दबाव का असर था, जो जांच के सामने टिक नहीं सका।

पूर्व मेयर सहित अन्य की मुश्किलें बढ़ी

एसटीएफ रिपोर्ट में पूर्व महापौर प्रभात साहू सहित शुभम अवस्थी, महेंद्र रैकवार, विजय सोनी और अभिनंदन जायसवाल की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है। एसटीएफ ने इन सभी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पुष्ट किया है, जिससे यह साफ हो गया कि घटनाक्रम में इनकी संलिप्तता जांच में प्रमाणित हुई है। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धाराएं 121 (1) 132, 351(2), 3(5) और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया जा चुका है। एसटीएफ की रिपोर्ट ने इन धाराओं के तहत दर्ज मामलों को और मजबूत आधार प्रदान किया है।

टीआई हुए थे तलब

न्यायालय ने उक्त मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं तो वह आम जनता को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। हाईकोर्ट ने लार्डगंज थाना प्रभारी को निर्देशित किया था कि अगली सुनवाई में दर्ज की गई दोनों एफआईआर व केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों। इसके साथ ही मामले की जांच एसटीएफ को सौंपे जाने का मोड़ आया। एसटीएफ की रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह तथ्यहीन और निराधार बताया गया। जांच एजेंसी ने इस हिस्से में खात्मा रिपोर्ट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध नहीं पाई गई, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त मानी गई है।

हत्या के मामले में नौ लोगों को उम्रकैद की सजा

अदालत ने सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने जबलपुर के बहुचर्चित अरुण चौटेल हत्याकांड के नौ आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी जबलपुर निवासी जय समुंद्रे, साहिल समुंद्रे, नीरज उर्फ युवराज बिरहा, शुभम नन्हेट, अजय समंद्रे, सुदेश उर्फ पप्पू समुंद्रे, कृष्णा उर्फ बाबू समुंद्रे, अनिल उर्फ रिंकू रान और राजू उर्फ राजकुमार समुंद्रे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 27 जुलाई 2022 को रात्रि साढ़े नौ बजे प्रेमसागर रोड पर अपने घर से छोटा उर्फ अरूण चौटेल निकलकर किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान अनिल उर्फ रिंकू रान, राजू समुंदे ने अपने साथियों को आवाज दी कि उसे आज पकडक़र मार डालो। जिसके बाद जय समुंदे, साहिल समुंद्रे, नीरज बिरहा, शुभम ननहेट, अजय समुंद्रे, सुदेश समुंद्रे, कृष्णा समुंद्रे अनिल उर्फ रिंकू रान, राजू समुंद्रे व एक बालक नअरूण की मोटर साइकिल का पीछा कर उसे सुलभ काम्पलेक्स के पास टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद सभी ने बारी-बारी से चीप, पत्थर, चाकू मारकर छोटा अरूण की हत्या कर दी। अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

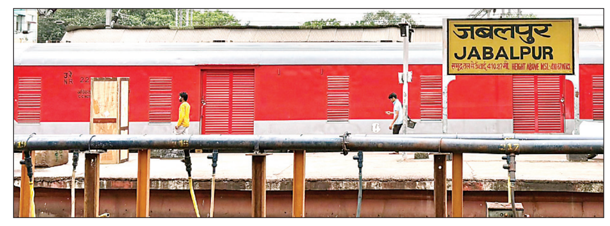

जबलपुर से अयोध्या के लिए साप्ताहिक समर स्पेशल

जबलपुर। रेल प्रशासन द्वारा समर के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 01705/01706 जबलपुर-अयोध्या धाम जंक्शन-जबलपुर साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेन वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी के कोचों के साथ संचालित होगी बता दें कि गाड़ी संख्या 01705 जबलपुर-अयोध्या धाम जंक्शन साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन जबलपुर से शाम 19:40 बजे प्रस्थान कर सिहोरा रोड 20:10 बजे, कटनी 21:20 बजे, मैहर 22:10 बजे, सतना 22:50 बजे, अगले दिन मानिकपुर जंक्शन मध्यरात्रि 00:28 बजे, प्रयागराज छिवकी 02:15 बजे, मिर्जापुर 04:00 बजे, वाराणसी 07:05 बजे, जौनपुर जंक्शन 08:30 बजे पहुँचकर और बुधवार को अयोध्या धाम जंक्शन 11:25 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01706 अयोध्या धाम जंक्शन-जबलपुर साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 22 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन से दोपहर 13:30 बजे प्रस्थान कर जौनपुर जंक्शन 16:00 बजे, वाराणसी 17:10 बजे, मिर्जापुर 19:45 बजे, प्रयागराज छिवकी 21:30 बजे, पहुँचकर अगले दिन मानिकपुर जंक्शन मध्यरात्रि 00:23 बजे, सतना 01:50 बजे, मैहर 02:15 बजे, कटनी 04:35 बजे, सिहोरा रोड 05:20 बजे और गुरुवार को जबलपुर 06:45 बजे पहुंचेगी।

मौसम का बदला मिजाज, मंडराए बादल, चली हवाएं

आंधी, बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी

नवभारत, जबलपुर। शुक्रवार को सुबह से मौसम का मिजाज बदला रहा। बादल डेरा डाले हुए थे । इसके साथ ही सूरज और बादलों के बीच दिनभर लुकाछिपी का खेल चलता रहा। तेज हवाएं भी चली। वहीं मौसम विभाग ने चौबीस घंटे के भीतर 40 से 50 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दक्षिण

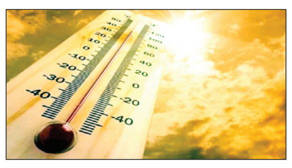

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के समीप 3.1 से 7.6 किमी माध्य समुद्र तल से ऊपर स्थित है। उत्तर-पूर्व पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में 1.5 किमी ऊँचाई पर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में 0.9 किमी ऊँचाई पर ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रीय है। एक अन्य ट्रफ, उत्तर मध्य प्रदेश से उत्तर विदर्भ तक माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी ऊँचाई पर फैला हुआ है। पश्चिम भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी ऊँचाई पर लगभग 250 किमी घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाए बह रही है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 अप्रैल से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

ऐसा रहा तापमान

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया । न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आद्रता 49 और शाम को 26 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिमी हवाएं 5 से 6 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

फर्जी पासपोर्ट प्रकरण : अफगानियों की 15 तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

जबलपुर । फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान छिपाकर रह रहे अफगानी नागरिकों के मामले में जांच तेज हो गई है और अदालत ने भी सख्त रुख अपनाया है। विशेष एटीएस कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद जांच एजेंसी को नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। जांच एजेंसी के अनुसार सोहबत खान, गुल अघा खान, सरदार खान, शाह वली और हमीदुल्लाह नाम के ये पांचों अफगानी नागरिक लंबे समय से जबलपुर के ओमती क्षेत्र में अपनी असली पहचान छिपाकर रह रहे

थे। एटीएस ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिससे यह मामला केवल अवैध निवास तक सीमित नहीं बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। ।सबसे अहम खुलासा सोहबत खान को लेकर हुआ है, जो वर्ष 2015 में अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था जांच में सामने आया है कि उसने स्थानीय स्तर पर विवाह किया और इसके बाद उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया। यह तथ्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया में संभावित खामियों और मिलीभगत की आशंका मजबूत हुई है। एटीएस ने अदालत में दलील दी कि इस पूरे मामले में स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों और संभवत: सरकारी कर्मचारियों की भूमिका हो सकती है. इसी वजह से नेटवर्क की पूरी परतें खोलने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है. अदालत ने भी इस दलील को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल किसी भी आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। जांच एजेंसी अब इस मामले को अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी जोड़कर देख रही है. एटीएस की टीमें आरोपियों के बैंक खातों, लेन-देन और संदिग्ध मोबाइल कॉल्स की डिटेल खंगाल रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनके संपर्क किन-किन लोगों से थे और क्या इनका संबंध किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान और भी अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह मामला केवल पांच व्यक्तियों तक सीमित है या इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है. आगामी 15 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में एटीएस कोर्ट के सामने नए तथ्यों को पेश कर सकती है. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है और शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन को लेकर भी सख्ती बढ़ाई जा रही है।

महिला को बंधक बना किया प्रताड़ित, इलाज के अभाव में हुई पैरालाइज्ड

पति, सास, ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। बेलबाग थाना अंतर्गत भानतलैया में दहेज लोभियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को कमरे में बंधक बनाकर रखा जिसके चलते सही देखभाल और पोषण न मिलने से वह पैरालाइज्ड (लकवाग्रस्त) हो गई है। पुलिस ने पति, सास, ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि भानतलैया निवासी 23 वर्षीय सानिया अली का विवाह दिसंबर 2023 में मुस्लिम रीति-रिवाज से फैसल खान के साथ हुआ था। सानिया के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकाह में 2

लाख रुपये नकद, एक्टिवा, फर्नीचर, सोने का हार (3 तोला), चांदी के जेवर और दामाद को सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप दी थी। निकाह के कुछ समय तक सब ठीक रहा, बाद में पति फैसल, सास मैसर खान और ससुर फिरोज खान ने 2 लाख रुपये को कम बताते हुए और पैसों व टीवी की मांग शुरू कर दी।

बेटी के जेवर गिरवी रखे पिता को किया अपमानित

शिकायत में बताया गया कि मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने सानिया के मायके से मिले जेवर गिरवी रख दिए और अपने पक्ष से मिले गहने बेच दिए। हद तो तब हो गई जब 29 नवंबर 2025 को सानिया ने बेटे (फैज) को जन्म दिया। मुंडन संस्कार के समय पति और सास-ससुर ने सोने की चेन और पूरे परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़ों की मांग की। सानिया के पिता ने सामर्थ्य अनुसार कपड़े और बच्चे को अंगूठी दी, लेकिन सोने की चेन न दे पाने पर उन्हें अपमानित कर घर से निकाल दिया गया।

मां-बेटे को किया कैद, 10 लाख की मांग पर अड़े

पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद पति फैसल उसे छोड़कर चला गया और सास-ससुर ने उसे नवजात बच्चे के साथ कमरे में बंद कर दिया। उसे केवल दरवाजा खोलकर खाना दे दिया जाता था। उचित खान-पान और इलाज न मिलने के कारण सानिया की स्थिति बिगड़ती गई और वह पैरालाइज्ड हो गई। इस बीच कई बार सामाजिक स्तर पर समझौते के प्रयास हुए, लेकिन ससुराल पक्ष अपनी आदतों से बाज नहीं आया। 1 जनवरी 2026 को सानिया के पिता उसे ससुराल से वापस ले आए और उसका इलाज शुरू कराया। अब ससुराल पक्ष का कहना है कि यदि 10 लाख रुपये लेकर आओगी, तभी तुम्हें घर में रखेंगे। अब पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है ।पुलिस ने पति फैसल खान, सास मैसर खान और ससुर फिरोज खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस करें

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि लौटाए। जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने इसके लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है।जबलपुर निवासी अरुण कुमार जांगिड़ की ओर से अधिवक्ता श्याम मोहन वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विभाग ने उसके बिजली बिल सुधार के आवेदन को निरस्त कर दिया। पूर्व में हाईकोर्ट ने लंबित देय राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की शर्त पर बिजली कनेक्शन नहीं काटने का आदेश दिया था। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने पूरा लंबित भुगतान जमा कर दिया है। इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने 28 हजार 556 रुपए अतिरिक्त जमा कर दिया है, जोकि विभाग को उसे लौटाना है।

नाबालिग बालक को डिप्टी सीटीआई ने आरपीएफ को सौंपा

जबलपुर मंडल ने मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया

जबलपुर, नवभारत। एक बार फिर से जबलपुर रेल मंडल ने यात्री सुरक्षा एवं मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ट्रेन संख्या 12167 एलटीटी-बनारस सुपरफास्ट में एक नाबालिग बालक को सुरक्षित बचाया गया। रेल प्रशासन के मुताबिक गत 31 मार्च को जबलपुर से प्रयागराज छिवकी के मध्य ड्यूटी के दौरान उप मुख्य टिकट निरीक्षक अनूप कुमार

बोरिया द्वारा टिकट जांच के दौरान कोच बी/3 में लगभग 15 वर्षीय एक बालक अकेले एवं असहाय अवस्था में पाया गया। पूछताछ में बालक ने बताया कि वह ट्रेन संख्या 11062 से जबलपुर तक आया था तथा उसे जयनगर जाना है। बालक के पास कोई वैध टिकट या दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मानवीय आधार पर बालक को सुरक्षा में लिया गया तथा आरपीएफ जीआरपी कटनी को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची आरपीएफ टीम को बालक को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया, ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसके परिजनों का पता लगाया जा सके। जबलपुर रेल मंडल द्वारा इस प्रकार की त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही यात्रियों की सुरक्षा के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

संबंधों का फायदा उठाकर किया विश्वासघात, सोना-चांदी हड़पी

सराफा कारोबारी पिता-पुत्र पर एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में व्यावसायिक संबंधों का फायदा उठाकर थोक व्यापारी से विश्वासघात कर सराफा कारोबारी पिता-पुत्र ने 479 ग्राम सोना और 800 ग्राम चांदी हड़प ली। वापिस मांगने पर धमकाया । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमानत में ख्यानत, धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक राहुल सोनी (39) निवासी रामेश्वरम कॉलोनी उखरी रोड, जड़िया आभूषण के नाम से सोने-चांदी का थोक व्यवसाय करते हैं। उनके पुराने परिचित राजेंद्र कुमार सोनी निवासी दरहाई सराफा फुटकर जेवरात का काम करते थे। व्यावसायिक संबंधों के चलते राहुल ने समय-समय पर राजेंद्र को जेवरात उधार दिए थे। धीरे-धीरे

राजेंद्र पर 479 ग्राम फाइन सोना और 800 ग्राम फाइन चांदी बकाया हो गई।

चेक और इकरारनामे के बाद भी मुकरा

जब राहुल ने अपने बकाया की मांग की, तो राजेंद्र टालमटोल करने लगा। अप्रैल 2025 में कोतवाली थाने में शिकायत होने के बाद राजेंद्र ने समझौता करते हुए 20 मई 2025 को एक इकरारनामा निष्पादित किया। उसने 10-10 लाख रुपये के चार चेक दिए और आश्वासन दिया कि 6-6 महीने की किश्तों में वह पूरी राशि चुका देगा। लेकिन पहली किश्त का समय आने पर राजेंद्र फिर से आनाकानी करने लगा।

एसोसिएशन ने किया ब्लैक लिस्टेड

पड़ताल के दौरान राहुल को पता चला कि राजेंद्र सोनी एक आदतन अपराधी है। उसने व्यापारी निरंजन मंडल और राकेश सोनी के साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी की है। इसकी गंभीरता को देखते हुए सराफा एसोसिएशन जबलपुर ने राजेंद्र को पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है। राहुल सोनी ने अंतिम बार अपनी राशि मांगी, तो राजेंद्र ने साफ इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने कहा, अब तुम्हारा सोना-चांदी डूब गया है, दोबारा पैसे मांगे तो तुम्हें जान से खत्म करवा दूंगा। पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद पाया कि राजेंद्र सोनी और कान्हा सोनी ने छल-कपट कर राहुल सोनी के जेवरात अपने निजी लाभ के लिए हड़प लिए हैं।

मंदिर दर्शन करने गई युवती को नमस्ते कर मारा चाकू

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत रामायण मंदिर के पास दर्शन करने गई एक युवती पर दो अज्ञात बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले युवती से नमस्ते किया और फिर शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। मना करने पर सिर पर चाकू मारकर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि गुप्तानगर निवासी 26 वर्षीय जयन्ती यादव मेडिकल कॉलेज के सामने मैगी और चाय का ठेला चलाती हैं, बीती रात लगभग 8 :30 बजे वह अपनी सहेली प्रतिभा के साथ स्कूटी से रामायण मंदिर दर्शन करने गई थीं। उनके साथ उनके परिचित लकी ठाकुर और लक्ष्मी भी दूसरी गाड़ी से पहुंचे थे। रात करीब 9 बजे जब जयन्ती मंदिर के पास अपनी स्कूटी खड़ी कर रही थीं, तभी दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे। बदमाशों ने पहले उन्हें दीदी नमस्ते कहा और बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि तुम मेडिकल के सामने मैगी का ठेला लगाती हो और इसके तुरंत बाद शराब पीने के लिए 500 रुपये की मांग करने लगे। जब जयन्ती ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो दोनों विवाद करने लगे। एक युवक ने जेब से चाकू निकाला और जयन्ती के सिर पर हमला कर दिया। हमले में युवती लहूलुहान हो गई। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57